राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता
1.	1240/2013 गोपाल कृष्ण शर्मा	1. मुख्य अभियंता (सामान्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, भवानी सिंह रोड़, जयपुर। 2. अधीशाषी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, निर्माण डिवीजन तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली, टोंक (राज.)।	12.08.2013	श्री राजेन्द्र वैश्य, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	1241/2013 गोपाल कृष्ण शर्मा	1. मुख्य अभियंता (सामान्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, भवानी सिंह रोड़, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बनीपार्क, जयपुर।		

आदेश की दिनांक : 10.08.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अपील संख्या 1240/2013 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वही वेतनमान 5500–9000 दिनांक 25.01.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान के रूप में दिया जावे, द्वितीय चयनित वेतनमान 6500–10500 दिनांक 01.01.2000 से एवं तृतीय चयनित वेतनमान 8000–12000 दिनांक 01.01.2009 से तथा मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देरी से भुगतान करने पर दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे। द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान छठा वेतन के आधार पर निर्धारण कर दिया जावे।

अपील संख्या 1241/2013 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.03.2011 एवं 09.03.2012 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 एवं नियम 1969 के अनुसार आदेश दिनांक 25.07.2002, 18.07.2003, 01.03.2008 एवं 25.11.2009 के तहत पंचायती राज विभाग में समायोजित मानते हुए माना जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1979 में हायर सैकण्डरी परीक्षा एवं वर्ष 1981 में सर्वेयर का डिप्लोमा प्राप्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.04.1984 के द्वारा अपीलार्थी को सर्वेयर

के पद पर दिनांक 01.01.1984 से अर्द्धस्थायी किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.1994 द्वारा अपीलार्थी को वेतन संख्या 640–1180 में वेतन निर्धारण किया गया एवं दिनांक 01.09.1989 से पुनरीक्षित वेतनमान 1400–2600 में रूपये 1400 वेतन निर्धारित किया गया एवं पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 5000–8000 में वेतनमान प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.01.1992 दिनांक 01.01.2000 से दिनांक 01.01.2009 से प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक उपरोक्त चयनित वेतनमान अपीलार्थी को नहीं दिए गए। अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1998 से वेतनश्रृखला 5500–9000 दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2000 के द्वारा अपीलार्थी के आधिक्य होने के कारण सेवाए सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामसेवक) के पद पर पदस्थापित किए जाने के कारण कोटपूतली पंचायत समिति के लिए कार्यमुक्त किया गया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने के कारण अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 01.08.2013 को प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील संख्या 1240/2013 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वही वेतनमान 5500–9000 दिनांक 25.01.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान के रूप में दिया जावे, द्वितीय चयनित वेतनमान 6500–10500 दिनांक 01.01.2000 से एवं तृतीय चयनित वेतनमान 8000–12000 दिनांक 01.01.2009 से तथा मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देरी से भुगतान करने पर दिलाए जाने का आदेश फरमाया जावे। द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान छठा वेतन के आधार पर निर्धारण कर दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में नियुक्ति का इंद्राज न होकर सीधे ही अर्द्धस्थायीकरण का आदेश इंद्राज किया हुआ है। अपीलार्थी का चयनित वेतनमान स्वीकृत हेतु प्रकरण अधीशाषी अभियंता पुर्नवास खण्ड बीसलपुर परियोजना, देवली के द्वारा दिनांक 20.07.2000 के द्वारा इस आशय से भेजा गया कि अपीलार्थी की दो वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर दिनांक 01.01.1984 से अर्द्धस्थायी घोषित किया। अतः सेवा सत्यापन दिनांक

01.01.1982 से होना चाहिए। परंतु सेवा पुस्तिका में दिनांक 01.01.1984 से की गई है।

अपीलार्थी की सेवापुस्तिका में दिनांक 07.10.1983 से 31.12.1983 तक की सेवाएं मस्टररोल के आधार पर अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन गंगानगर रेग्यूलेशन खण्ड श्रीगंगानगर द्वारा की गयी है। वह भी दिनांक 09.11.2012 को की हुई है। उक्त कार्यालय से संबंधित अवधि के भुगतानशुदा वाउचर प्राप्त नहीं हुए है। जिसके संबंध में कार्यावाही की जा रही है। सेवाभिलेख एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रों/ प्रमाण पत्रों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी के दैनिक वेतन पर कार्यरत होने के उपरान्त भी जल संसाधन उपखण्ड–बांदीकुई से जल संसाधन गंगानगर रेग्यूलेशन खण्ड– श्रीगगानगर कैसे गया, जो संदेह उत्पन्न करता है। मुख्य अभियंता, जल संसाधन राज. जयपुर के पत्र दिनांक 06.03.2013 के तहत सर्वेयर के पद पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता डिग्री/डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियर है। अपीलार्थी नियुक्ति के समय उक्त योग्यताधारक नहीं था। अपीलार्थी के सर्वेयर के पद पर प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.02.1982 करे जारी किये गये है जो दिनांक 31.03.1982 तक के लिये है इसके बाद के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए है। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश दिनांक 11.02.1982 को जारी हुए है जबकि अपीलार्थी की सेवापुस्तिका में सेवा सत्यापन दिनांक 01.01.1982 से हुआ है जो विरोधाभासी है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 06.03.2013 के द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति उपरान्त ही अपीलार्थी को वांछित चयनित वेतनमान नियमानुसार स्वीकृत हो सकेगा। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता दिनांक 06.04.2022 को विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.12.2021 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2021 को सेवानिवृत हो गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.06.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी का छटे एवं सातवें वेतनमान में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण नहीं किया गया तथा वार्षिक वेतन वृद्धिया भी 01.01.2010 के पश्चात नहीं लगाई गई है। अतः अपीलार्थी का वेतन छटे एवं सातवें वेतनमान में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण कर वार्षिक वेतन वृद्धि लगाते हुए वेतन भुगतान करे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5400/2015 राजकुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के दिनांक 12.04.2017 के निर्णयानुसार पैरा :–

"A conjoint reading of the two rules, extracted herein above, would reflect that the case of the petitioner falls within the contemplation of Rule 26(1) under Clause (ii). A glance of Clause (8 of 10) [CW-5400/2015] (ii,) would reveal that it deals with an eventuality wherein the maximum of the scales of the new post is equal to the maximum of the old post, which is not the case at hand. The stand of the petitioner that he was never given an option to opt for lower pay scales, is not in dispute, therefore, he cannot be deprived of the right accrued to him in view of specific contemplation under communication /order dated 23rd January, 2001, which specifically provided for protection of pay of the petitioner on the substantive post.

A glance of the clarification/instruction as referred to below Rule 38 of Rajasthan Civil Services Pension Rules, 1996, it would further reflect that the employee who is absorbed on a lower post owing to the abolition of the post held by him, said employee should be intimated of the pay being offered to him on his appointment to the new post as required by Clause (b) of the Rule. It is further provided that on abolishing of post, the permanent incumbent should, as far as possible, be absorbed on an equivalent post. It will be relevant to consider the text of instruction which reads thus:

"Rule 38 (1) of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 provides that when a Government servant is selected for being absorbed on a lower post owing to the abolition of the post held by him, the employee should be intimated of the pay being offered to him on his appointment to the new post as required by Clause (b) of the said Rule. Instead of intimating the pay offered, the Government is moved for protection of pay the employee was last drawing while holding the permanent post. It is to state that when a post is abolished, the permanent incumbent should as far as possible be absorbed on an equivalent post. On the principles laid down under Rule 26(a)(ii) of the Rajasthan (9 of 10) [CW-5400/2015] Service Rules. In case where it is not possible to absorb an employee on an equivalent post, the employee should be given two options as mentioned in the said Rule namely (1) taking the compensation pension or gratuity to which he is entitled for the service already rendered or (ii) accepting another appointment on such pay as may be offered. In regard to the pay to be offered on the new post, since the employee does not retain any substantive pay on abolition of his permanent post, he will be treated a fresh employee for the purpose of initial fixation in the new

post. The Government, can, however, fix his pay at a stage higher than the minimum of the pay scale but not exceeding the last pay drawn by the employee. This pay, however, wold be further limited to the maximum of the scale of the new post to which he is appointed."

A glance of the instruction, as extracted herein above, would reflect that absorption of the employee on abolition of a post held by him, is to be made as far as possible on an equivalent post and on appointment on an equivalent post, pay is to be fixed on the principle as contemplated under Rule 26 (1)(a)(ii) of the Rajasthan Civil Services Rules, 1951.

In the case at hand, the petitioner was not absorbed on the equivalent post, and therefore, contemplation under order/communication dated 23rd January, 2001, for protection of pay was provided. The petitioner, accepting the contemplation of pay protection joined the post of 'Gram Sewak', with the Panchayati Raj Department. Hence, the case at hand falls within the contemplation of Clause (iii) of Rules 26 (1)(a).

In the case of M. M. Bhavsar (supra), in somewhat similar circumstances and factual matrix the option of the incumbent to lower category of post under the State with pay (10 of 10) (CW-5400/2015] protection was not treated as waiver of protection of pay to which incumbent was entitled on the date of absorption. In the case at hand, the petitioner opted for absorption under the Panchayati Raj Department on the post of 'Gram Sewak' in the backdrop of a specific contemplation as to pay protection accorded to him vide order/communication dated 23rd January, 2001. That fact that the petitioner continued in the same protected pay scale and retired attaining the age of superannuation on 30th September, 2016, is also not in dispute, Thus, while the petitioner was absorbed on the post of 'Gram Sewak' a post in lower pay scale but with pay protection, would not amount to his waiver of the protection of pay accorded by the State-respondents vide order dated 23rd January, 2001.

No other point was raised by the counsel for the parties for consideration of this Court.

For the reasons and discussion aforesaid, the writ application succeeds and is hereby allowed.

Impugned orders dated 20th October, 2010 (Annexure-5), and 9th March, 2012 (Annexure-8), qua the petitioner; are hereby quashed. As a consequence thereof, the petitioner would be entitled all consequential benefits."

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1979 में हायर सैकण्डरी परीक्षा एवं वर्ष 1981 में सर्वेयर का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.01.1984 के द्वारा अपीलार्थी को सर्वेयर के पद पर अर्द्धस्थायी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.1994 द्वारा अपीलार्थी को वेतन संख्या 640–1180 में वेतन निर्धारण किया गया एवं दिनांक 01.09.1989 से पुनरीक्षित वेतनमान 1400–2600 में रूपये 1400 वेतन निर्धारित किया गया एवं पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 5000–8000 में वेतनमान प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.11.2000 के द्वारा अपीलार्थी के आधिक्य होने के कारण सेवाए सचिव ग्राम पंचायत (ग्रामसेवक) के पद पर पदस्थापित किए जाने के कारण कोटपूतली पंचायत समिति के लिए कार्यमुक्त किया गया। जहां तक अपीलार्थी को पंचायत राज विभाग में ग्राम सेवक (पदेन सचिव) के पद पर समायोजित करने एवं चयनित वेतनमानों का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में पंचायत राज विभाग के आदेश दिनांक 17.10.2000 में यह स्पष्ट रूप से अंकन है कि समायोजित कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान इनके द्वारा अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके अनुरूप ही किया जाएगा और ऐसे कार्मिक जिनका वेतन ग्राम सेवक (पदेन सचिव) के वेतन श्रृंखला के समान अथवा अधिक है, उन्हीं को ग्राम सेवक (पदेन सचिव) के पद पर समायोजित किया जावेगा और इस प्रकार अपीलार्थी को ग्राम सेवक (पदेन सचिव) के पद पर समान वेतन श्रृंखला के आधार पर ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग में समायोजित किया गया है। अपीलार्थी उक्त पद पर नियमानुसार चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5400/2015 राजकुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 12.04.2017 में भी ऐसे

समायोजित कार्मिकों को नियमानुसार चयनित वेतनमान एवं उक्त पद की वेतन श्रृंखला दिए जाने को सही माना है। अतः अपीलार्थी भी नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर नियमित नियुक्ति दिनांक से ही चयनित वेतनमान आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 09.03.2011 एवं 09.03.2012 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए नियमानुसार एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए चयनित वेतनमानों का लाभ एवं समस्त पेंशन परिलाभ आदि प्रदान किए जावें।

मूल आदेश अपील संख्या 1240/2013 गोपाल कृष्ण शर्मा बनाम मुख्य अभियंता (सामान्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, भवानी सिंह रोड़, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1241/2013 में भी इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य